सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फार्म संख्या ।।।
फर्द अहकाम
नियम 20

अज अदालत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुकाम बारां (राज)

बउनवान

बिहारी पुत्र हीरा जाति बंजारा निवासी अहमदी तहसील किशनगंज

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक छीपाबडौद जिला बारां (राज.)

(रेस्पोडेन्ट)

किस्म :– अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या :– 12/2018

अभिभाषक अपीलांट :– श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एडवोकेट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर वता अहकाम जो इस हुक्म को तामील मेजरी हुए
15.10.2018	अपीलांट की ओर से जेर अपील मे स्थगन प्रार्थना पत्र जर्ये अभिभाषक पृथक से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक छीपाबडौद के प्रकरण संख्या 1247/2016 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 17.3.2017 की पालना मे अपीलांट को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि अपीलांट का सम्पूर्ण सजा 15 दिवस भुगतायी गयी तो प्रार्थी का अपील करना व्यर्थ हो जायेगा। अपीलांट के जेल मे रहने की सूरत मे काश्तकारी नष्ट हो जावेगी तथा अपीलांट के परिवार के समक्ष भूखो मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना ताफैसला अपील स्थगित किया रखी जाकर प्रार्थी को उचित जमानत मुचलकों पर रिहा किये जाने के आदेश पारित किये जावे। हमने अपीलांट के अभिभाषक को स्थगन प्रार्थनापत्र पर एकपक्षीय सुना। फलस्वरूप अपीलांट यदि अतिक्रमित आराजी वनखण्ड अहमदी नयागांव ग्राम अहमदी के खसरा नम्बर 256 की रकबा 10 बीघा वन भूमि पर से कब्जा छोड दे व बकाया शास्ति जमा करा दे तथा जैल से रिहा किये जाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक छीपाबडौद के समक्ष 10,000/– रूपये का जमानतनामा व इसी कदर 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका पेश कर दे, तो सहायक वन संरक्षक छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्या 1247/2016 मे पारित आदेश दिनांक 17.3.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। अधीनस्थ न्याया. को तहरीर जारी हो। स्थगन प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर होकर, फैसल शुमार हो। प्रार्थनापत्र मूल अपील के साथ संलग्न हो। (सुदर्शन सिंह तोमर) अति0 जिला कलक्टर, बारां	